...ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

...ठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 174/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र तेजाराम 2. सुखराम पुत्र तेजाराम 3. बाबूलाल पुत्र तेजाराम जातियान बिश्नोई निवासी आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. ठाकरा पुत्र लुम्बा फौत के कायम मुकाम 1/1 प्रवीण कुमार पुत्र ठाकरा 1/2 शैतान पुत्र ठाकरा 1/3 प्रदीप पुत्र ठाकरा 1/4 चुनी देवी पत्नी ठाकरा 2. केशाराम पुत्र हरचंद 3. जगराम पुत्र हरचंद 4. पांचाराम पुत्र हरचंद 5. बाबूलाल पुत्र हरचंद 6. सुजाराम पुत्र हरचंद 7. किशना पुत्र जोधा 8. खुमा पुत्र जोधा 9. द्रोपदी पत्नी किशना जातियान बिश्नोई निवासीगण आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 10. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– श्री श्रीराम विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 1/2 के वकील– श्री मोहनलाल खिलेरी
विप्रार्थी संख्या 07 के वकील– श्री आम्बाराम पूनड़

निर्णय

दिनांकः– 30/03/2026

प्रार्थीगण गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि " प्रार्थीगण एक काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 1040/... ...2–4767 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम आदर्श सोनड़ी पटवार क्षेत्र ... ...सोनड़ी तहसील सेड़वा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त... तथा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

इस हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। ऑनलाईन जमाबंदी पेश है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणी पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण 01 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 623/78 रकबा 3–0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता है। इस रास्ते का प्रार्थीगण कई वर्षों से उपयोग कर रहे है तथा इस रास्ते से अन्य कई परिवार भी जुड़े हुए है तथा विप्रार्थीगण के खेत से प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा संख्या 1040/88 के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते एवं कदीमी रास्ते को रोक लेते है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है व झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	623/78	3–0594	बारानी सोयम	20 फीट	आदर्श सोनड़ी	ठाकरा पुत्र लुम्बा फौत के कायम मुकाम प्रवीण कुमार पुत्र ठाकरा वगैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने जो रास्ता वैकल्पिक रूप से परिशिष्ट अ में [illegible] केसरिया रंग से दर्शाया है, जो विप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर 20 फीट चौड़ा कदीमी रास्ता चल रहा है, जो जिससे आगे सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के अपने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थीगण को अपनी ढाणी आदि जाने में रूकावट पैदा होती है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत खसरा

उनवान–गंगाराम वगैरा बनाम ठाकरा के कायम मुकाम प्रवीण कुमार वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 174/2025

[illegible]ा 1040/88 रकबा 2–4767 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 623/78 रकबा 3–0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/1579 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/1295 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 अनुसार ''गंगाराम पुत्र तेजाराम, राजूराम पुत्र सोनाराम, रतनलाल पुत्र भोजाराम, सुरेशकुमार पुत्र हरीराम, बाबुलाल पुत्र सोनाराम, अशोक पुत्र चौथाराम व रामकुमार पुत्र सुखराम जाति विश्नोई की उपस्थित में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	भूमि की किस्म	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ठाकरा पुत्र लुम्बा	623/78	3–0594	0–1457 (0–18 बीघा)	बारानी सोमय	मौके पर निर्माण
2.	केशाराम पुत्र हरचन्द, जगराम पुत्र हरचन्द, पांचाराम पुत्र हरचन्द, बाबूलाल पुत्र हरचन्द, सूजाराम पुत्र हरचन्द	79	1–5459	0–0243 (0–03 बीघा)	बारानी अव्वल	मौके पर भूमि खाली
3	किशना पुत्र जोधा, खूमा पुत्र जोधा व द्रोपदी पत्नी किशना	81	5–4066	0–1295 (0–16 बीघा)	बारानी अव्वल	मौके पर भूमि खाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 623/78 रकबा 3–0594 हैम्क्टेयर में रास्ते की लम्बाई 12 जरीब यानि 800 फीट, चौड़ाई 20 फीट =800X20÷17424= 0–18 बीघा जिसमें अप्रार्थी ठाकरा पुत्र लुबा के एक रहवासी ढाणी, जिसकी ईंटों से निर्मित मकान है व सड़क के पास दो दुकान निर्माणाधीन है। रहवासी मकान जिसकी कीमत 100000/– व दुकानों की कीमत 150000/– व 18 बिस्वा भूमि जिसकी कीमत डीएलसी दर से 51120 रूपये। अप्रार्थी ठाकरा पुत्र लुना के खसरा नम्बर 623/78 में से रास्ते की कुल कीमत 301120 रूपये एवं डीएलसी के दो गुना कीमत कुल 352240 रूपये जो बरंग लाल दर्शित है।

खसरा नंबर 79 रकबा 1–5459 हैक्टेयर काश्तकार केशाराम जगराम, पांचाराम, बाबुलाल, सुजाराम पि. हरचन्द कौम विश्नोई जिसमें लम्बाई 115 फीट व चौड़ाई 20 फीट कुल =115X20÷17424= 0–03 बीघा जिसकी डीएलसी अनुसार कीमत 8520/– व खसरा नम्बर 81 रकबा 5–4066 हैक्टेयर जिसमें काश्तकार किशना खुमा पि. जोधा द्रौपदी पत्नी किशना जिसमें लम्बाई 685 फीट व चौड़ाई 20 फीट =685X20÷17424= 0–16 बीघा जिसकी डीएलसी दर अनुसार 45440 /– रूपये। उक्त रास्ता दोनों ओर ठाकरा/लुम्बा एवं किशना/जोधा वगैरा केशाराम वगैरा से प्रार्थी गंगाराम के सड़क से बराबर दूरी है।

इन दोनों विकल्प के अलावा अन्य कोई नजदीक सुलभ रास्ता नहीं है। नक्शा ट्रेस बरंग लाल अंकित, जो फर्द का अभिन्न अंग है। फर्द मौका, मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान के हस्ताक्षर करवाए गए।

वकील प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी वास्ते राजस्व आवेदन में संशोधन करने बाबत् पेश किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया। जिसकी पालना में प्रार्थीगण गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से संशोधित आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया, जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण एक काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी का कृषि खेत खसरा संख्या 1040/88 रकबा 2–4767 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम आदर्श सोनड़ी पटवार क्षेत्र सोनड़ी भू अभिलेख निरीक्षक सोनड़ी तहसील सेड़वा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। ऑनलाईन जमाबंदी पेश है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणी पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण 01 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 623/78 रकबा 3—0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से नया रास्ता प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई एवं दिनांक 15.07.2025 को तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं प्रार्थी के खेत तक जाने हेतु 02 समान विकल्प मौका रिपोर्ट में दर्ज करके मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा आदर्श सोनड़ी पटवार मण्डल सोनड़ी के खसरा संख्या 623/78 रकबा 3—0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से एवं उनके पड़ोसी खसरा संख्या 79 रकबा 1—5459 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा संख्या 81 रकबा 5—4066 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से समान विकल्प बताकर मौका रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय को भिजवाई गई। इन विकल्पों के अलावा कोई अन्य रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक जाने के लिए नहीं है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा संख्या 1040/88 के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते एवं कदीमी रास्ते को रोक लेते है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है व झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है।

प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र में चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते की चौड़ाई	मौजा	खातेदार का नाम
1	623/78	3—0594	बारानी सोयम	20 फीट	आदर्श सोनड़ी	ठाकरा पुत्र लुम्बा फौत के कायम मुकाम प्रवीण कुमार पुत्र ठाकरा वगैरा
2	79	1—5459	बारानी अव्वल	20 फीट	आदर्श सोनड़ी	केशाराम पुत्र हरचन्द, जगराम पुत्र हरचन्द, पांचाराम पुत्र हरचन्द, बाबूलाल पुत्र हरचन्द, सूजाराम पुत्र हरचन्द
3	81	5—4066	बारानी अव्वल	20 फीट	आदर्श सोनड़ी	किशना पुत्र जोधा, खूमा पुत्र जोधा व द्रोपदी पत्नी किशना

प्रार्थीगण के खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु मौका रिपोर्ट के अनुसार 02 समान विकल्प दर्शाए गए है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1040/88 रकबा 2—4767 हैक्टेयर किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

...ल में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 623/78 रकबा 3–0594 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम या विकल्प 02 विप्रार्थीगण संख्या 02 से 06 के खसरा संख्या 79 रकबा 1–5459 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं विप्रार्थीगण संख्या 07 से 09 के खसरा संख्या 81 रकबा 5–4066 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से या नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।''

प्रार्थीगण के संशोधित वादपत्र में वर्णित अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् व विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से अधिवक्ता श्री आम्बाराम पूनड़ ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थीगण द्वारा मांगे गए रास्ते के संबंध में आपत्तियां पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगावाने व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा आदर्श सोनड़ी के खसरा नम्बर 1040/88 में नवीन रास्ता प्राप्त करने हेतु विप्रार्थी के खसरा नम्बर 623/78 में काल्पनिक व मनगढंत तथ्यों के आधार पर आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण के जोत में आने जाने हेतु पूर्व में भी एक रास्ता उपलब्ध है, इसिलए दूसरा सुविधा हेतु नवीन रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज किया योग्य है। प्रार्थीगण के जोत में आवागमन हेतु विधि अनुसार नजदीकतम रास्ता मौजा आदर्श सोनड़ी के खसरा नम्बर 81 व 79 में मौजूद होने के बावजूद उक्त खसरों के खातेदार प्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्य व रिश्तेदार होने के कारण उक्त खसरों में से रास्ते हेतु आवेदन में पक्षकार नहीं बनाकर विप्रार्थीगण के खेत में [illegible] नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग केसरिया स्थान से प्रार्थीगण की मांग की गई है, [illegible] स्थान पर विप्रार्थीगण का पीढियों का पुराना घर व पशुबाड़ा इत्यादि बनाए हुए है। इसलिए उक्त स्थान पर विधि अनुसार रास्ता दिया जाना असंभव होने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध चाही गई, इस्तदुआ इसी स्तर पर खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

जाकर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 81 व 79 के खातेदारों को बतौर पक्षकार विप्रार्थीगण योजित कर नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट तलब किया जाने का आदेश फरमावें। विप्रार्थीगण के जोत में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक व नजदीकतम रास्ता मौजा आदर्श सोनड़ी के खसरा नम्बर 642/130 से भी सुलभ रूप से उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थीगण के जोत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते हूतु नक्शा परिशिष्ट ''स'' अनुसार भी मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्याय संगत है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट विप्रार्थीगण को सूचित किए बगैर एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। जिसमें विप्रार्थीगण के मकान, टांका व बाथरूम चारदीवारी, लाईट पानी फीटिंग, सेनेट्री हार्डवेयर, आंगन इत्यादि की कीमत एक लाख दर्शाई गई है, जबकि उक्त निर्माण कार्य व सामान व उपकरणों की कीमत 20 लाख से अधिक है, जिस हेतु राजस्व कर्मियों उक्त कार्यों व सामग्री का सही मूल्यांकन सिविल इंजीनियर व सार्वजनिक निर्माण विभाग से सर्वे करवाकर वास्तविक लागत मूल्यों का भौतिक रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के जोत में आने जाने हेतु नजदीकतम व वैकल्पिक रास्ते हेतु नक्शा परिशिष्ट ''ब'' व ''स'' अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश फरमावें।

विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् का प्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत के अलावा अन्य कोई दूसरा निकटतम रास्ता प्रार्थीगण के खेत से उपलब्ध नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत से कई वर्षों से प्रार्थी के खेत तक जाने का कदीमी रास्ता चालू था, जिस पर प्रार्थीगण आवागमन करते थे, लेकिन न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए आवेदन प्रस्तुत कर तलबी करवाने के बाद जैसे ही विप्रार्थीगण को आवेदन की जानकारी हुई, उसी रोज विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के जोत तक जाने वाले रास्ते को बंद कर उस पर निर्माण कार्य करवा दिया, जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

पूर्व उक्त रास्ता मौके पर चालू था, जिसके फोटो संलग्न है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने सूचना के बाद किया गया निर्माण कार्य अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इसलिए उक्त निर्माण का मूल्यांकन या सर्वे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि विप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् व जवाब में प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर वकील उभयपक्षकारान् के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने व प्रस्तुत आपत्तियों को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में विप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने व प्रस्तुत आपत्तियों को न्यायहित में अस्वीकार किया जाता है।

विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से अधिक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थीगण द्वारा मांगे गए रास्ते के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी भूमि में से रास्ते हेतु परिशिष्ट 'अ' (चाहा गया रास्ता) नहीं पेश किया गया है। जिसका मतलब यह है कि विप्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 81 में कभी भी रास्ता नहीं था तथा प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में खसरा संख्या 81 में मौके पर रास्ता चल रहा है, जिसका जिक्र नहीं किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट 'अ' खसरा संख्या 623/78 में से रास्ता चाहा गया है तथा इसी खसरे में से पूर्व में कभी रास्ता होना बताया गया। विप्रार्थी संख्या 07 को खसरा संख्या 81 में जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है, उस स्थान पर विप्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ है जो ... से ही बना हुआ है, जिसकी फोटो संलग्न है। उक्त स्थान खसरा संख्या 81 में ... व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है, क्योंकि वहां पर पक्का मकान बना हुआ है, ... वहां से रास्ता दिया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

र्थी की सम्पति को भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं होगी। प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी रास्ता उपलब्ध है, जिसका जिक्र विप्रार्थी संख्या 01 फौत के कायम मुकाम (वारिसानों) द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों व वैकल्पिक व सबसे नदजीकी रास्ता होने का जिक्र किया गया है, जो प्रार्थना पत्र विचारणीय है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर विप्रार्थी को परेशान करने की नियम से यह आवेदन प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 07 की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 81 में से न्यायालय ने मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है, खसरा नंबर 81 के लिए मौका कनिश्नर भी नियुक्त नहीं किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा बिना आदेश खसरा संख्या 81 व 79 में से प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है, जो कि कानूनन गलत है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट डिस्पेच क्रमांक भू.अ./2025/1295 दिनांक 24.07.2025 में यह लिखा है कि उपखण्ड अधिकारी सेड़वा अर्थात् माननीय न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 81 व 79 में रास्ते दिए जाने हेतु मौका रिपोर्ट चाही गई है, लेकिन माननीय न्यायालय ने केवल खसरा संख्या 623/78 में से रास्ता दिए जाने की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है। जिसका आदेश संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार बिना किसी न्यायालय के आदेश का जिक्र कर मौका रिपोर्ट बनाना सरासर गलत है। मौका रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 को मौके पर बनाई गई है, ऐसा मौका रिपोर्ट में लिखा गया है, लेकिन जिस जमाबंदी पर मौका रिपोर्ट बनाई गई तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए वो जमाबंदी दिनांक 22.07.2025 को समय 3:58:53 पी.एम. पर डाउनलोड की गई है, जिसका समय व दिनांक जमाबंदी पर दर्शाया गया है, जिसका साफ–साफ मतलब यह है कि यह मौका रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 को मौके पर नहीं बनाई गई है तथा यह मौका रिपोर्ट बैक डेट में भू.अ. निरीक्षक द्वारा अपनी ऑफिस में बैठकर बनाई गई है तथा यह मौका रिपोर्ट विप्रार्थीगण को बिना सूचना दिए बनाई गई है तथा मौका रिपोर्ट के साथ नोटिस संलग्न नहीं है। मौका रिपोर्ट में रतनलाल पुत्र भोजाराम व सुरेश कुमार पुत्र हरीराम को विप्रार्थी बताया गया है, लेकिन उक्त व्यक्ति का उनवान में पक्षकार ही नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के खातेदारों को बिना सूचना दिए बनाई गई मौका रिपोर्ट प्रारम्भ से ही शून्य है तथा प्रभावित खातेदारों को नोटिस सर्वार या नोटिस सूचना देना आवश्यक माना गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

स के अभाव में बनाई गई मौका रिपोर्ट अवैध व विधि के विरूद्ध मानी जाती है तथा सरा नंबर 79 व 81 एस.बी.आई. भूणिया व बीसीसीबी धोरीमन्ना, एसबीआई धोरीमन्ना में रहन है। जिन्हें उक्त उनवान में पक्षकार नहीं बनाया है। यह पक्षकारों का कुसंयोजन है। अतः निवेदन है कि इनत माम तथ्यों पर मनन, विचार व अवलोकन करते हुए प्रार्थीगण का यह रास्ते का आवेदन मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावें।

विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् पर वकील विप्रार्थी ने जवाब नहीं पेश कर सीधी बहस सुनने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर वकील उभयपक्षकारान् के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन व उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में विप्रार्थी संख्या 07 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने बाबत् को न्यायहित में अस्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1/2 व 07 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न सक्षम दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग नहीं है तथा इसका अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

नियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, सका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	केशाराम पुत्र हरचन्द, जगराम पुत्र हरचन्द, पांचाराम पुत्र हरचन्द, बाबूलाल पुत्र हरचन्द, सूजाराम पुत्र हरचन्द	79	1–5459	0–0243 (0–03 बीघा)	बारानी अव्वल	आदर्श सोनड़ी
2.	किशना पुत्र जोधा, खूमा पुत्र जोधा व द्रोपदी पत्नी किशना	81	5–4066	0–1295 (0–16 बीघा)	बारानी अव्वल	आदर्श सोनड़ी

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2025/1295 दिनांक 24.07.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 21.07.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग दर्शाया गया है जिसमें वर्णित एवं दर्शित अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा की तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 मय फर्द दिनांक 21.07.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक 30/03/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

(...नारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड) अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

पृष्ठ मार्क

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1295

दिनांकः—24.07.2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 174 / 2025 अनवान गंगाराम वगैरह बनाम ठाकरा वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 174 / 2025 अनवान गंगाराम वगैरह बनाम ठाकरा वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम आदर्श सोनडी के खसरा 1040 / 88 में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **81, 79,623 / 78** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सोनडी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

मिस्ल आवेदन संख्या 174/2025 अनवान गंगाराम वगैरह बनाम ठाकुरा वगैरह राज. काश्तकारी अधिनियम धारा "251A" अन्तर्गत।

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....घनराज.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त ....सोनड़ी.... कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश कमांक 1529/677 दिनांक 15/7/25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 21.7.25 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर–623/78 वाके ग्राम आदर्श सोनड़ी पटवार मंडल ....सोनड़ी.... पर श्री ....मगाराम.... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 01.......... दिनांक 15/7/25 .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी	
01	गंगाराम	तेजाराम	65	विश्नोई	प्रार्थी	गंगाराम
02	राजूराम	सोनाराम	31	विश्नोई	प्रार्थी	[illegible]
03	रतनलाल	भोजाराम	40	विश्नोई	अप्रार्थी	
04	सुरेशकुमार	हरिराम	35	विश्नोई	अप्रार्थी	
					प्रार्थी	बाबूलाल
05	बाबूलाल	सोनाराम	40	—	—	अशोक कुमार
06	अशोक	चोपाराम	30	—	—	
07	रामकुमार	सुखराम	28	—	प्रार्थी	रामकुमार

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

01 गंगाराम / तेजाराम कौम विश्नोई उम्र 65 वर्ष

02 राजूराम / सोनाराम कौम विश्नोई उम्र 31 वर्ष

फर्द मौका मय [illegible]

फर्द मे सलग्न रिपोर्ट।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

भू.अ.नि. सोनड़ी

21/07/25

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रार्थी कोई

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	गंगाराम	तेजाराम	65	विश्नोई	9799129290 [signature]
02	राजूराम	सोनाराम	31	विश्नोई	8619350450 [signature]
03	बाबुलाल	〃	40	〃	9783330719 [signature]
04	अशोक	चौथाराम	30	〃	9413232929 [signature]

इस प्रकार आज दिनांक 21/7/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

24/07/25
निरीक्षक (भू.अ.) सेड़वा

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत............

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

फर्द मौका

प्रकरण कार्य

आज दिनांक 21/7/25 को मौजा आदर्श सोनड़ी स्थित खसरा नम्बर 623/78 रकबा 3.0594 हे. राज. काश्तकारी अधिनियम कि धारा 251A के तहत प्रार्थी डूंगाराम वगैरह ने राज वाद सं. 174/2025 आवेदन कि मौका जांच निम्न प्रकार है।

⇒ खसरा न. 623/78 रकबा 3.0594 मे रास्ते कि लम्बाई 12 जरिब यानि 800 फिट चौड़ाई 20 फिट = 800 × 20 ÷ 17424 = 0.18 बीस्वा जिसमे अप्रार्थी ठाकरा पुत्र लुणा के एक रहवासी ढाणी जिसकी ईंटो से निर्मित मकान है व सड़क के पास दो दुकान निर्माणाधीन है। रहवासी मकान जिसकी किमत 100000/- रूपये व दुकानो कि किमत 1,50,000/- रूपये व 18 बिस्वा भूमि जिसकी किमत DLC दर से 51120 रूपये। अप्रार्थी ठाकरा पुत्र लुणा के खसरा न. 623/78 मे से रास्ते कि कुल किमत 301120 रूपये एवम् DLC के दो गुना किमत कुल = 352240 रूपये जो नारंगी लाल दर्शित है।

⇒ खसरा न. 79 व 81 खसरा न. 79 रकबा 1.5459 हेक्टेयर काश्तकार केशाराम जगाराम, पांचाराम, बाबुलाल, सुजाराम पि. हरचन्द कौम बिश्नोई जिसमे लम्बाई 115 फिट व चौड़ाई 20 फिट 115 × 20 ÷ 17424 = 0.03 बीस्वा जिसकी DLC अनुसार किमत 8520/- रूपये खसरा न. 81 रकबा 5.4066 हे. जिसमे काश्तकार किशना कुम्भा पि. जोधा द्रोपदी पत्नि किशना जिसमे लम्बाई 685 फिट व चौड़ाई 20 फिट 685 × 20 ÷ 17424 = 0.16 बीस्वा जिसकी DLC दर अनुसार 45440/- रूपये। उक्त रास्ता दोनो ओर ठाकरा/लुम्बा एवम् किशना/जोधा वगै. केशाराम वगैरह से प्रार्थी डूंगाराम के बराबर सड़क से दुरी है

इन दोनो विकल्प के अलावा अन्य कोई नजदिक सुलभ रास्ता नहि है। नक्शा हैस नारंगी अंकित (लाल) जो फर्द का अभिन्न अंग है। फर्द मौका मौके [illegible] मौतबरान के हस्ताक्षर मुरत्तिब किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.) [illegible]

21/7/25
पटवारी सोनड़ी

बाबूलाल
ठाकराराम
रामकुमार
राजूराम
डूंगाराम

राजस्थान सरकार — NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/07/2025 03:56:39 PM

...: बाड़मेर	तहसील : सेड़वा	भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी
...ल्का : सोनड़ी	ग्राम : आदर्श सोनड़ी	

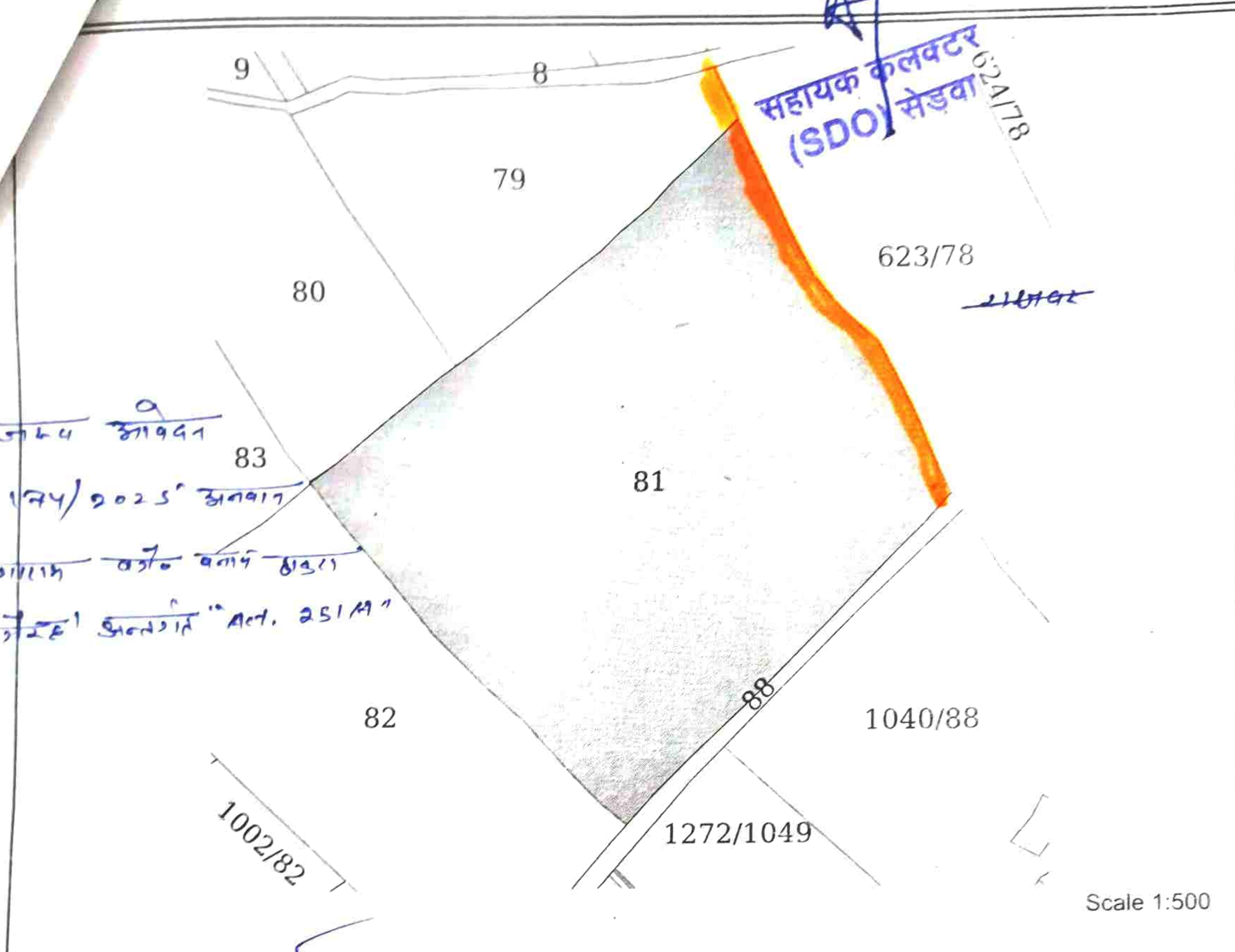

खसरा संख्या :81 क्षेत्रफल : 5.4066 Hectare खाता संख्या : 25 पुराना खाता संख्या : 18

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.अव्वल [5.4066, 4.05]

1.) किशना पुत्र जोधा हिस्सा- 7/16 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार हिस्सा-7/16 (पूर्ण खाता) S.B.B.J.शाखा भूणिया

2.) खूमा पुत्र जोधा हिस्सा- 1/2 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) B.C.C.B. शाखा धोरीमना

3.) द्रोपदी पत्नि किशना हिस्सा- 1/16 जाति- विश्नोई सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ...

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधि...

...तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/07/2025 03:57:20 PM

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेड़वा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी

हल्का : सोनड़ी

ग्राम : आदर्श सोनडी

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

खसरा संख्या :79 क्षेत्रफल : 1.5459 Hectare खाता संख्या : 21 पुराना खाता संख्या :210

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.अव्वल [1.5459, 1.16]

1.) केशाराम पुत्र हरचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरीमना

2.) जगराम पुत्र हरचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरीमना

3.) पांचाराम पुत्र हरचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरीमना

4.) बाबूलाल पुत्र हरचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरीमना

5.) सूजाराम पुत्र हरचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- विश्नोई सा.देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा धोरीमना

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

दिनांक : 22/07/2025 03:58:53 PM

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनड़ी

तहसील : सेड़वा

…ला : बाड़मेर

ग्राम : आदर्श सोनडी

हल्का : सोनड़ी

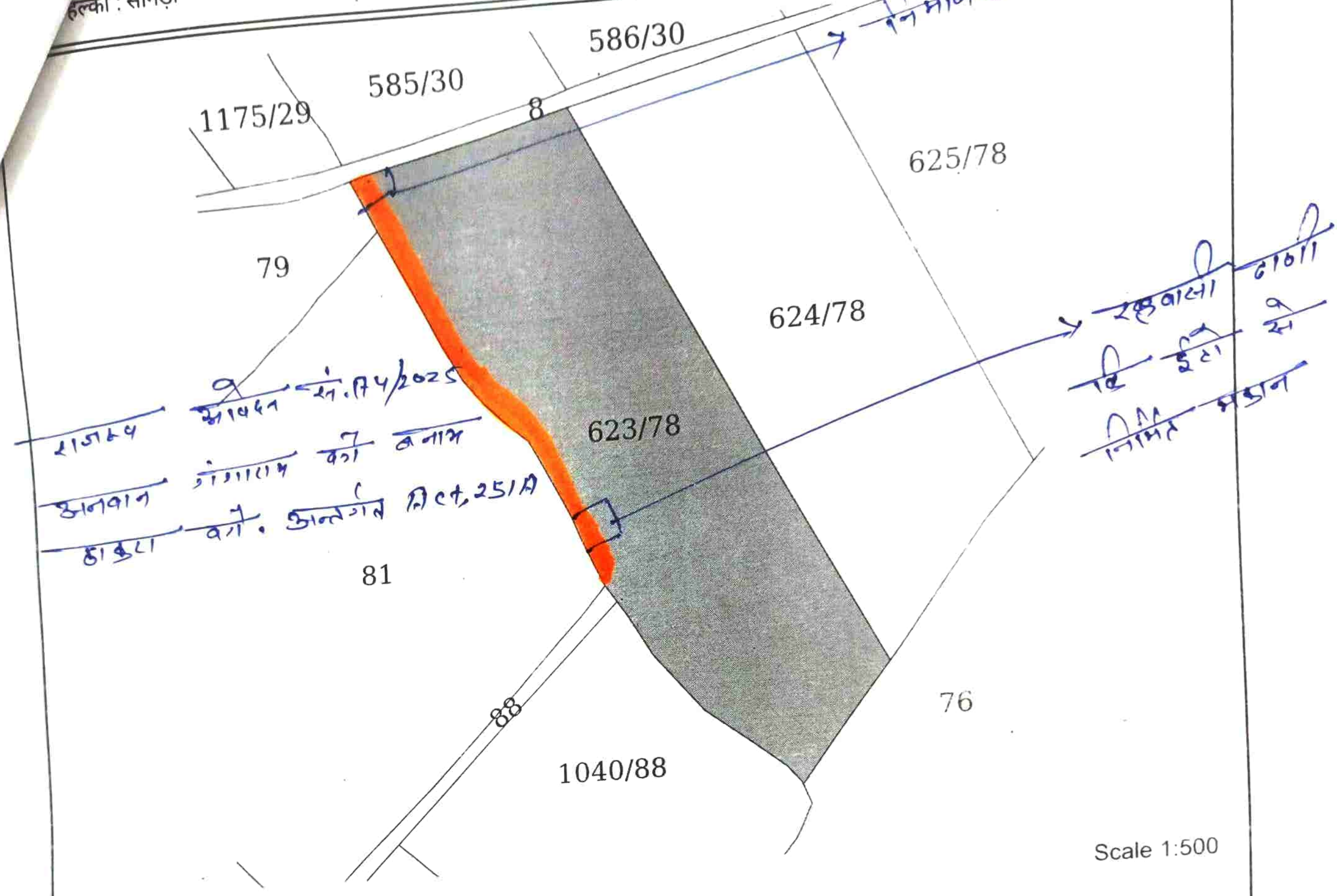

खसरा संख्या :623/78 क्षेत्रफल : 3.0594 Hectare खाता संख्या : 68पुराना खाता संख्या :55

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.0594, 0.95]

1.) ठाकरा पुत्र लुम्बा हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. . खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा स…

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा स…

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु स… …पर्क करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:43:24 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा